

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणताल से अंधियारगढी सनगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणताल से अंधियारगढी सनगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।
ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
ग) परियोजना की लागत।	रु0 101.36 लाख
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	वनक्षेत्र में प्रस्तावित संरक्षण के अतिरिक्त अन्य विकल्प न होने के कारण।
ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने लिए)	लागू नहीं।
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	आरक्षित वनभूमि 2.520 हे0। नाप भूमि 0.8225 हे0।
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	परियोजना के कारण लोगों को हटाने की आवश्यकता नहीं है।
क) परिवारों की संख्या	-शून्य--
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	-शून्य--
ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	-शून्य--
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)	नहीं।
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	स्वीकार्य प्रमाण पत्र संलग्न। बचनबद्धता संलग्न।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।	पृष्ठ संख्या- 3 पर संलग्न विषयक सूची के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न।

दिनांक स्थान चम्बा।

अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
चम्बा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
चम्बा।

अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
चम्बा।

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र टिहरी में विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अधियागढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग निर्माण। (कुल लम्बाई 4.775 किमी०)			
(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र	उत्तराखण्ड			
(ii) जिला	टिहरी गढ़वाल			
(iii) वन प्रभाग	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग			
(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे० में)	आरक्षित वन भूमि (हे०)	सिविल सोयम (हे०)	वन पंचायत भूमि (हे०)	कुल भूमि (हे०)
	2.520	0.000	0.000	2.520
(v) वन की कानूनी स्थिति	सिविल एवं सोयम वन भूमि			
17. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति:	कोई नहीं			
18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:	संलग्न है			
(i) वन का प्रकार	मिश्रित वन			
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व	0.30 से 0.40			
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	संलग्न है			
(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा	-			
19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी	इस बाबत वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक (से०नि०) लोक निर्माण विभाग देहरादून की दो पृष्ठीय भू-गर्भीय आख्या प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र-33 के साथ पर चस्पा है।			
20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :	लगभग 680 मीटर			
21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :	कोई नहीं			
(i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :	कोई नहीं			
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्पवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	नहीं			

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नही
(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षेपण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नही
(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे	कोई नही
22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)	नही। इस बाबत प्रस्तावक/लोक निर्माण विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र-37 पर तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र चस्पा है।
23. पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :	कोई नही
(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।	इस बाबत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र-14 पर चस्पा है।
(ii) यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग किया जा सकता है।	—
24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :	
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)	नही
(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही	नही
(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)	नही

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :	
(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।	संलग्न है
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।	संलग्न है
(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।	संलग्न है
(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।	संलग्न है
(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :	12.76 लाख
(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।	हाँ
26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।	हाँ
27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों	वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण की संस्तुति की जाती है।

स्थान :- मुनिकीरेती।

तारीख :- 08 - 01 - 2018

हस्ताक्षर
बन विभाग
नम
शशास्त्रीय मंडल

प्रारूप-4

भाग-3

13. क्या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पण के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाय।
14. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं।
15. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रा